



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )पंरावि/प्रशा.1/वि.अ/संस्था/प्रति./विकिध/2017/1072 जयपुर, दिनांक 17-4-18

### आदेश

श्री नरेन्द्र सिंह दधिवाडिया, विकास अधिकारी पंचायत समिति आसपुर जिला डूंगरपुर की सेवानिवृत्ति निकट भविष्य में होने के कारण इनकी विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (शिक्षा) को लौटायी जाकर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

उक्त अधिकारी अपने पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के अनुसार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरीयता क्रम में संभालकर तत्काल अपनी उपस्थिति पैतृक विभाग में प्रस्तुत करें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त उदयपुर।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
10. जिला कलेक्टर डूंगरपुर।
11. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद डूंगरपुर।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति आसपुर जिला डूंगरपुर।
13. संबंधित अधिकारी को सूचनार्थ।
14. एसपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
15. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1)